

उमर भौ वनाम लिख

को पेश हो। १८

२००१/२४

पीठासीन अधिकारी महोदय, पुगाव/अन्य कार्य में व्यस्त है,
अतः पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक ०१/०५/२४ को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी महोदय, पुगाव/अन्य कार्य में व्यस्त है,
अतः पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक ०१/०५/२४ को पेश हो।

०६/०५/२४

पत्रावली द्वारा पेश हुई, वहील वारी उप
पत्रावली वास्ते बहम दिनांक ०३/०५/२४ को
पेश हो १८

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीएम) राज

१३/०५/२४

पत्रावली द्वारा पेश हुई, वहील वारी उप
वास्ते बहम दिनांक २०/०५/२४ को पेश हो १८

२०/०५/२४

पीठासीन अधिकारी महोदय, पुगाव/अन्य कार्य में व्यस्त है,
अतः पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक २०/०५/२४ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीएम) राज

२५/०५/२४

पत्रावली द्वारा पेश हुई, वहील वारी उप
पुखण्ड में वहील वारीजण की बहम सुनी
जई, वहील वारीजण की बहम. पत्रावली
का अवलोकन किया गया है पाया कि
साक्षिक डा. एच. ए. २००१/२४/०७ रकवा
०५ बीघा ६ बिस्वा बरुत उपर लवाग

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)
बनाम
मिसल संख्या.....

प्रकरण.....

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुये।

के वारीगण के पिता/पति द्वारा दिनांक
11.09.1973 को जस्टिस Registered कथनामा
द्वारा किया गया था तथा साक्षिक सा. ख. नं.
299/240/67 से दाल. सा. ख. नं. 43/0.46
अवम हुआ है अतः उक्त वारीगण मुलाक़ि
कथनामा दिनांक 11.09.1973 दिखी किया जाता
है। विस्तृत निर्णय सूचक से लिखा जाकर
शाखिल फावली किया गया। निर्णय साध
मेरे द्वारा लिखा जाकर मुझे न्यायालय
में सुनाया गया। फावली फेजल सुभाह
द्वारा शाखिल अतः हो ७

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०